09520958 24-4-10

मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांकः–

कलेक्टर
24 APR 2010

क्रमांक 19–40 / 2005 / 12 / 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के अध्याय–तीन–6 के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, खनन एवं परिवहन एवं उसकी चेकिंग के निमित्त –

1– जिला सीहोर के ग्राम पाण्डाडोर, तहसील बुदनी (रेहटी–बुदनी मार्ग) के वन विभाग के नाके पर ।

2– जिला रायसेन के ग्राम बरखेड़ा के वन विभाग के नाके पर ।

3– ग्राम रतनपुर (मिसरोद) पटवारी हल्का नं0 40, विकासखण्ड फन्दा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूखण्ड खसरा नं0 913 / 1 की भूमि पर रेत परिवहन की रायल्टी एवं ओवर लोडिंग की जांच हेतु नाके स्थापित करता है, इन नाकों की स्थापना का समस्त प्रशासकीय व्यय मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।

969
27-4-10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0 मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

पृ0क्र0 19–40 / 2005 / 12 / 2

भोपाल, दिनांक – 22-4-10

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0 भोपाल ।
2– कलेक्टर जिला भोपाल (म0प्र0) ।
3– कलेक्टर जिला सीहोर (म0प्र0) ।
4– कलेक्टर जिला रायसेन, (म0प्र0) ।
5– प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6– नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

दि. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का एक उपक्रम)

दि. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
'पर्यावास भवन खण्ड-1 द्वितीय तल (ए)
प्रशासनिक जोन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 2763391, 2763392, फैक्स नं. 2763394

50 स्वर्ण जयंती वर्ष 2005-06

उप कार्यालय :
म.नं. 12, वार्ड नं. 17,
सांईनाथ कालोनी,
मीनाक्षी, होशंगाबाद
फोन : 07574-252340

क्र/हो.बाद/ रेत /2010-11/ दिनांक : 21.04.2010

कलेक्टोरेट, सीहोर AMO 26 APR 2010 अधीक्षक कलेक्टर

0586186/10 26-4-10

प्रति,

मैं. शिवा कारपोरेशन (इण्डिया) लि.,
312, गनपति प्लाजा, एम-1, जयपुर (राजस्थान)
स्थानीय कार्यलिय- होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- रेत खनिज जाँच नाका गड़रियानाला, टप्पा शाहगंज तिराहा एवं मालीबांया तिराहा चालू करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः- म.प्र. शासन का पत्र क्र.एफ 19-40/2005/12/2 भोपाल दिनाँक 28.05.2005

उपरोक्त संदर्भित विषय में लेख है कि म.प्र. शासन आदेश क्र.एफ 19-40/2005/12/2 भोपाल दिनाँक 28.05.2005 के द्वारा जिला सीहोर की तहसील बुदनी क्र ग्राम गड़रियानाला, टप्पा शाहगंज तिराहा एवं मालीबांया तिराहा में रेत खनिज जाँच नाका की स्वीकृति दी गयी है । आदेश की छायाप्रति साथ संलग्न है ।

982
27-4-10

आप शासन द्वारा जिला सीहोर में स्वीकृत रेत जाँच नाका गड़रियानाला, टप्पा शाहगंज तिराहा एवं मालीबांया तिराहा में स्थापित कर अपने कर्मचारी पदस्थ कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(आर.के. नेमा)
प्रभारी अधिकारी

क्र.हो.बाद/रेत/2010-11/116 दिनाँक 21.04.2010

प्रतिलिपिः-
1. श्रीमान कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग बुदनी की ओर सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अनुविभाग बुदनी की ओर सूचनार्थ ।
4. थाना प्रभारी, थाना- बुदनी/ शाहगंज/ रेहटी की ओर सूचनार्थ ।

(आर.के. नेमा
प्रभारी अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28. 5. 2005

क्रमांक एफ 19-40/2005/12/2. म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा सीहोर जिले की बुधनी के ग्राम गडरियानाला, मालीबांया तिराहा एवं टप्पा शाहगंज तिराहे में रेत के अवैध परिवहन की जाँच एवं रोकथाम हेतु नाका स्थापित करने की अनुमति हेतु जिला कार्यालय सीहोर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा लेख किया गया कि इन नाकों पर रेत परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रांजिट पास जारी किया जावेगा जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी तथा अवैध परिवहन पर प्रभावी रोकथाम लगा सकेगी ।

2. खान एवं खनिज (निकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-सी (2) में राज्य शासन को अवैध खनन परिवहन रोकने एवं खनिजों की चैकिंग के लिए चेकपोस्ट की स्थापना किए जाने के अधिकार प्रदत्त हैं ।

3. अत: पूर्ण विचारोपरांत उक्त अधिनियम की उल्लेखित धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीहोर की बुधनी के ग्राम गडरियानाला, मालीबांया तिराहा एवं टप्पा शाहगंज तिराहे में कलेक्टर सीहोर द्वारा सुझाये गये स्थानों पर खनिज जाँच नाका स्थापना की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि नाकों पर होने वाला समस्त प्रशासकीय व्यय खनिज निगम वहन करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(राजकुमार पाठक)
उप सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

पृ.क्र. एफ 19-40/2005/12/2 भोपाल, दिनांक 28. 5. 2005

प्रतिलिपि:-

(1) कलेक्टर जिला सीहोर (म.प्र.)

(2) महाप्रबंधक (संचालन) म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

8/5/05

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

cc to all o/c
H'bad for n.a

Khan
2.6.05
(S.K. Dube)
GM(O)

Shri R.K. Nema
[illegible]
Shri Yadav
[illegible] 6/6/05